झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू-कॉपरेटिव बिल्डिंग, श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा रॉची - 834 024

राजेश्वरी बी, भा.प्र.से.

राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः **चिर्श** *४ ५१/०१ | १८०*

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं वार्डेन, झारखण्ड।

विषय : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षकों से दैनिक पारिश्रमिक आधार पर पठन-पाठन की सेवा पूर्णतः अस्थायी रूप से ली जा रही है। दैनिक पारिश्रमिक के निर्धारण में एकरूपता नहीं रहने के फलस्वरूप जिलों में कई समस्यायें हो रही हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में राज्य के सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षकों के चयन, दैनिक पारिश्रमिक, योग्यता, प्राथमिकता एवं पारिश्रमिक का निर्धारण निम्नवत् रूप से किया जाता है –

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के पठन-पाठन हेतु अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक की सेवा निम्नवत् ली जा सकती है –

- वर्ग 6 से 8 के लिए 5 शिक्षिकाओं का पद सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत है। इन कक्षाओं के लिए स्वीकृत पद यदि रिक्त हो तो उन पदों के विरुद्ध अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक से पठन-पाठन का कार्य माह में अधिकतम 25 दिनों के लिए प्रति कार्य दिवस 200/- रूपये की दर से पारिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती है। प्रति कार्य दिवसं कम-से-कम तीन वर्ग का संचालन अनिवार्य होगा।
- अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक से पठन-पाठन का कार्य आवश्यकता
 आधारित होगी एवं विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर से ली जायेगी।
- अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक का चयन संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, विद्यालय के वार्डेन एवं संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की एक समिति द्वारा की जायेगी जिसका अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षा होंगी एवं तकनीकि

अनुमोदन जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

- अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक की योग्यता वही होगी जो सरकारी विद्यालयों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के संचालन हेतु
 अधिकतम 5 संविदा आधारित शिक्षिका एवं 3 अंशकालिक
 शिक्षिका/शिक्षक की सेवा प्राप्त की जा सकती है।
- अंशकालिक शिक्षिका के रूप में चयन करते समय विद्यालय प्रबंध
 समिति द्वारा निम्न प्राथमिकता को ध्यान में रखा जायेगा-
 - (क) सरकारी विद्यालय से सेवानिवृत शिक्षिका।
 - (ख) उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी (महिला)।
 - (ग) क्रमांक (क) एवं (ख) के आधार पर अभ्यर्थी नहीं प्राप्त होने की दशा में उच्चतर योग्यताधारी पुरुष अभ्यर्थी ।
- 2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के पठन-पाठन हेतु अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक की सेवा निम्नवत् ली जा सकती है –
- वर्ग 9 से 12 के लिए पाँच (5) अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक की सेवा माह, में अधिकतम 20 दिनों के लिए प्रति घंटी 150/- रूपये की दर से पारिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती है। एक अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक द्वारा एक विद्यालय दिवस में अधिकतम 4 घंटी लिया जा सकेगा।
- पाँच (5) अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक में से एक-एक निम्न विषय के होंगे- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान एवं हिन्दी
- अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक का चयन संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, विद्यालय के वार्डेन एवं संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी की समिति द्वारा की जायेगी जिसका तकनीकि अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
- अंशकृतिक शिक्षिका/शिक्षक की योग्यता वही होगी जो सरकारी विद्यालयों में उच्च माध्यमिक (+2 विद्यालय) के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

शिक्षा अभियान

राज्य परियोजना निदेशक

- शिक्षिका/शिक्षक से अंशकालिक कार्य पठन-पाठन का आधारित होगी एवं विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर से सेवा ली जायेगी। अंशकालिक शिक्षिकाओं की सेवा उन्हीं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों जहाँ विभागीय निदेश के आलोक में ली जायेगी शिक्षिका/शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है।
- अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक के रूप में चयन करते समय विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निम्न प्राथमिकता को ध्यान में रखा जायेगा-
 - (क) सरकारी विद्यालय से सेवानिवृत शिक्षिका।
 - (ख) उच्चतर योग्यताघारी अभ्यर्थी (महिला)।
 - (ग) क्रमांक क एवं ख के आधार पर अभ्यर्थी नहीं प्राप्त होने की दशा में उच्चतर योग्यताधारी पुरूष अभ्यर्थी ।

अतः उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक से पठन-पाठन का कार्य लिया जा सकता है। साथ ही अंशकालिक शिक्षिका/शिक्षक से पठन-पाठन का कार्थ वर्ग 6-12 तक आवश्यकता के आधार पर ली जा सकेगी।

पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत निदेशों को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन

종0/-

(राजेश्वरी बी) राज्य परियोजना निदेशक

ब्रापांक : WDD 8 49 09/180 राँची, दिनांक : 10-02-2016 प्रतिलिपि-सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

राज्य परियोजना निदेशक